फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर **मुकाम** नागौर

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

लखुभाई पुत्र गोविन्द भाई विरदा आयु 53 वर्ष जाति विरदा अहीर निवासी प्लोट नम्बर 21, गुरूकृपा नगर, पालधर लेक के पास, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात 370201 आधार नम्बरः: 533837095995 मोबाईल नम्बर 9825989074

राजस्थान सरकार जरिये सहायक लोक अभियोजक, नागौर

किस्म मुकदमा ~~दीवानी~~ फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 16802 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21.09.21	वकील प्रार्थी ने प्रार्थी लखुभाई की ओर से पुलिस थाना कुचेरा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–155/2021 अधीन धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में प्रार्थी का जब्तशुदा वाहन टेंकर पंजीयन संख्या जीजे 12 एजेड 5281 एवं वाहन के असल दस्तावेज को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने हेतु धारा 457 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय नागौर श्री रामावतार पूनिया द्वारा उपर्युक्त वर्णित वाहन टेंकर पंजीयन संख्या जीजे 12 एजेड 5281 एवं अन्य वाहन एवं अन्य सामग्री को राजसात करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत आवेदन न्यायालय हाजा में पेश किया हुआ है, जिसके रसद मामला संख्या–86/2021 राज0 सरकार जरिये रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक बनाम भंवरलाल वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 04.10.2021 को नियत है। चूंकि प्रार्थी का आवेदन रसद मामला संख्या 86/2021 से संबंधित है। अतः प्रार्थी का आवेदन उक्त मूल पत्रावली रसद मामला संख्या–86/2021 के साथ पेश हो। प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामावतार पूनिया को भी सूचित किया जावे। श्री सुशील कुमार अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण की मूल अनुसंधान पत्रावली मय प्रकरण की स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को दिनांक 27.9.2021 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करावे। पत्रावली दिनांक 27.09.2021 को पेश हो। जिला कलक्टर,नागौर	Recd copy
27/9/21	प्रार्थी की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री आनन्द व्यास एवं श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि जब्त शुदा टेंकर पंजीयन संख्या जीजे 12 एजेड 5281 का प्रार्थी लखुभाई स्वामी है। वाहन व उक्त वाहन से संबंधित असल दस्तावेज पुलिस थाना कुचेरा द्वारा सी.आर. नम्बर 155/21 अधीन धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्त किये हुए है। उक्त वाहन व असल दस्तावेज का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई स्वामी नहीं है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना कुचेरा में देखरेख के अभाव में पड़ा–पड़ा खराब हो रहा है। पुलिस थाना डीडवाना को उक्त जब्त शुदा वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि प्रार्थी को उक्त वाहन व असल दस्तावेज की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थी ने	मूल पत्रावली प्राप्त की प्रेमसुख FC 30-9-21

कलक्टर,नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या–46/2021
लखुभाई बनाम राज0सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
27.9.21 (लगातार)	(नीचे देखें)	

यह भी कथन किया कि जिला रसद अधिकारी नागौर ने पुलिस थाना कुचेरा के द्वारा सूचित किये जाने पर दिनांक 03.09.2021 को पुलिस थाना कुचेरा में उपस्थित होकर डिटेनसुदा सामग्री को अवैध मानते हुए अभिग्रहित करने का अंकन किया गया है, जिसमें प्रार्थी के ऑयल टैंकर वाहन संख्या जीजे 12 एजेड 5281 को भी अभिग्रहित किया है तथा वाहन के असल दस्तावेजात पुलिस ने जब्त कर रखे है। प्रार्थी उक्त वाहन टैंकर पंजीयन संख्या जीजे 12 एजेड 5281 का पंजीबद्ध स्वामी है, जो उसमें परिवहन किये जाने वाले माल का न तो मालिक है, न विक्रेता है, न क्रेता है, विक्रेता और क्रेता के विवरण ई–वे बिल और टैक्स इनवॉइस में दर्ज है। वाहन में परिवहन की जा रही कमोडिटी–जीटीएल लाईट पेराफिन है। कथित वाहन में परिवहन के लिए पेट्रोलियम नियम 2002 के अधीन 23.10.2022 तक वैध अनुज्ञप्ति जारी की हुई है, ऐसी स्थिति में कथित वाहन द्वारा परिवहन किया जा रहा कोई भी कार्य अवैध अथवा विधि विरूद्ध नहीं है। ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के द्वारा उक्त माल बुक किया जाकर विक्रेता द्वारा क्रेता को पहुँचाया जा रहा था, ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी और कथित वाहन के द्वारा कोई भी विधि विरूद्ध अथवा आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की अक्षरशः पालना करने हेतु तत्पर होने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने प्रार्थी का उक्त वाहन टैंकर पंजीयन संख्या जीजे 12 एजेड 5281 व उसके असल दस्तावेजात असल पंजीयन प्रमाण पत्र, असल प्रदुषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, असल फिटनेस प्रमाण पत्र सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कुचेरा को वाहन में रखे हुए वाहन के कोई भी दस्तावेज यदि प्राप्त कर रखे है तो वे उन्हे भी वाहन स्वामी को देने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व प्रवंर्तन निरीक्षक ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक टैंकर जीजे–12 एजेड–5281 में 22500 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया गया है। घटना स्थल पर उक्त टैंकर से टैंकर चालक भंवरलाल द्वारा कस्बा कुचेरा में अवैध रूप से ड्रमों, टेक्टर के साथ लगे टैंकर में खाली करते हुए को डिटेन किया गया है। वर्तमान में ट्रक टैंकर जीजे–12 एजेड–5281 में 22500 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्तशुदा भरा हुआ है। उक्त अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के नमूना सेम्पल को एफएसएल भिजवाया हुआ है, जिसकी एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अनुसंधान जारी है। प्रवर्तन निरीक्षक ने बहस में यह भी कथन किया कि उपर्युक्त वर्णित वाहन टेंकर पंजीयन संख्या जीजे 12 एजेड 5281 एवं अन्य वाहन एवं अन्य सामग्री को राजसात करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत आवेदन न्यायालय हाजा में पेश किया हुआ है, जिसके रसद मामला संख्या–86/2021 राज0 सरकार जरिये रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक बनाम भंवरलाल वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन है एवं जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2) के तहत जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ ज्वलनशील प्रकृति का होने से इसका अंतरिम निस्तारण किये जाने हेतु भी कार्यवाही की जानी है तथा उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 04.10.2021 को नियत होने का कथन करते हुए प्रवर्तन निरीक्षक एवं अभियोजन अधिकारी ने प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पुलिस थाना कुचेरा द्वारा प्रस्तुत केश डायरी का अवलोकन किया। [illegible] थानाधिकारी पुलिस थाना कुचेरा द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.[illegible]21 प्र[illegible] की, जो शामि0 हो। उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में जब्[illegible] टैंकर जीजे–12 एजेड–5281 में 22500 लीटर अवैध पेट्रोलियम प[illegible] जब्त किया गया है। घटनास्थल पर उक्त टैंकर से टैंकर चालक भंवरलाल द्वारा कस्बा कुचेरा में अवैध रूप से ड्रमों, टेक्टर के साथ लगे टैंकर में खाली कर[illegible] को डिटेन किया गया है। वर्तमान में ट्रक टैंकर जीजे–12 एजेड–5281 में 22500 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्तशुदा भरा हुआ है। उक्त अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के नमूना सेम्पल को एफएसएल भिजवाया हुआ है, जिसकी एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। प्रकरण में अनुसंधान जारी होना बताया है। उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:29 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर,नागौर

तारीख हुक्म	न्यायालय जिला कलक्टर नागौर फौजदारी प्रार्थना पत्र सं. 46/2021 लखुभाई v/s राज. सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27.9.21 (नागौर)	शा0मि0 हो। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त वर्णित वाहन टेंकर पंजीयन संख्या जीजे 12 एजेड 5281 एवं अन्य वाहन एवं अन्य सामग्री को राजसात करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत आवेदन न्यायालय हाजा में पेश किया हुआ है, जिसके रसद मामला संख्या–86/2021 राज0 सरकार जरिये रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक बनाम भंवरलाल वगैरह न्यायालय हाजा में विचाराधीन है एवं जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2) के तहत जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ ज्वलनशील प्रकृति का होने से इसका अंतरिम निस्तारण किये जाने हेतु भी कार्यवाही विचाराधीन होकर प्रकरण अप्रार्थीगण की तलब व जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ के अन्तरिम निस्तारण के संबंध में बहस हेतु पत्रावली दिनांक 04.10.2021 को नियत है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को देखते हुए प्रकरण प्रार्थी का जब्तशुदा वाहन टैंकर पंजीयन संख्या जीजे 12 एजेड 5281 व वाहन से संबंधित दस्तावेजात को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर नागौर कलक्टर,नागौर Signature Not Verified Digitally signed by Jitendra Kumar Soni Date: 2021.11.26 18:38:29 IST Reason: SelfAttested	